

राजस्थान सरकार

क्रमांक: सं.प. 9/1/नविवि/3/95

जयपुर, दिनांक 6 जुलाई, 2002

आदेश

राजकीय भूमियों पर 15 अगस्त, 1998 से पूर्व बनी कच्ची बस्तियों के नियमन का प्रावधान राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 9 (1)नविवि/3/95 दिनांक 18.5.99 के द्वारा किया गया है। सन्दर्भित परिपत्र में अधिकतम 200 वर्ग गज के कब्जों का नियमन करने का प्रावधान है। इसी क्रम में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 9 (1)नविवि/3/95 दिनांक 21.10.2001 के द्वारा स्थानीय निकायों/नगर विकास न्यासों की योजना क्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों को सामान्यतः अन्यत्र शिफ्ट करने का प्रावधान है। स्थानीय निकाय यदि उनका विस्थापन करने में असमर्थता महसूस करते हैं तो 15.8.98 से पूर्व के ऐसे निवासियों का अधिकतम 50 वर्गगज तक के कब्जों का नियमन का प्रावधान है, इन दोनों प्रावधानों में विद्यमान भिन्नता भेदभाव पूर्ण प्रतीत होती है अतः यह आदेश जारी किए जाते हैं कि नगर विकास न्यासों/स्थानीय निकायों की योजना क्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों का भी नियमन गैर योजना क्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु प्रचलित प्रावधानों के अनुसार किया जाये।

15 अगस्त, 1998 से पूर्व बसी कच्ची बस्तियों का निर्धारित अवधि में सर्वेक्षण कर नियमन करने का कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया था किन्तु उक्त समव्यावधि में अनेक कच्ची बस्तियों का चिन्हीकरण एवं सर्वेक्षण नहीं किया जा सका। अतः यह निर्णय किया गया कि ऐसी कच्ची बस्तियां जो 15 अगस्त, 1998 से पूर्व बसी हुई हैं तथा जिनके पास उक्त अवधि से पूर्व बसें होने के पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण हैं उनका पुनः सर्वेक्षण कराया जाकर नियमन की कार्यवाही निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत की जावें।

* * *

राजस्थान सरकार

क्रमांक: सं.प. 5/3/नविवि/3/99

जयपुर, दिनांक 6 जुलाई, 2002

आदेश

नगरीय क्षेत्र में जिन खातेदारों की कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को अधिकृत किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत राजकीय भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ किए निर्माणों का प्रावधान नहीं है अतः राजकीय भूमियों पर किए निर्माण के लिए धारा 90 बी की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। राजकीय भूमियों पर किए आवासीय निर्माणों के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5/8/नविवि/3/99 दिनांक 26.05.2000 के तहत वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावें।

27
* * *